राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग)

क्रमांकःएफ.2(1)आरडी / आरई / नरेगा / 2006 जयपुर, दिनांक 3 जून, 2009

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.04.2009 एवं 05.05.2009 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारियों तथा अन्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विभिन्न पंचायत समितियों में ब्लॉक कोर्डिनेटर **(Block Coordinator)** नियुक्त किया गया है। ब्लॉक कोर्डिनेटर पूर्व में उल्लेखित कार्यों के अलावा निम्न कार्य भी सम्पादित करेंगेः–

1. नियमित रूप से बैंक एवं पोस्ट ऑफिस से खातों का मिलान सुनिश्चित करना।
2. यह सुनिश्चित करना कि कार्यों पर 5–5 के ग्रुप बनाकर कार्य करवाये जा रहे हैं एवं भुगतान भी माप के आधार पर अलग--अलग ग्रुप को अलग–अलग दर से किया जा रहा है।
3. क्रियान्विति में शिकायत विशेषकर भ्रष्टाचार संबंधी प्राप्त होने पर अधिकतम सात दिवस में इसका निष्पादन सुनिश्चित किया जाना।
4. मजदूरी का भुगतान पखवाडा समाप्त होने से अधिकतम 15 दिन में सुनिश्चित करना।
5. कार्यकारी संस्था द्वारा सामग्री क्रय पारदर्शी तरीके से किये जाने को सुनिश्चित करना।

जिला कार्यक्रम समन्वयक यह भी सुनिश्चित करेंगें कि ब्लॉक कोर्डिनेटर द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य किया जा रहा है एवं इसकी नियमित समीक्षा भी जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा की जावेंगी।

(राजेन्द्र भाणावत)
शासन सचिव एवं आयुक्त नरेगा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. जिला समन्वयक अधिकारी, समस्त राजस्थान
2. श्री निखिल डे, एम के एस एस
3. अतिरिक्त जिला समन्यक, समस्त राजस्थान
4. ब्लौंक कोर्डिनेटर, समस्त राजस्थान

31.6.09

शासन सचिव एवं आयुक्त नरेगा